म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/9541 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक:12/12/2013

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा
जिला समस्त (म.प्र)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अभिसरण के तहत "आंगनवाड़ी भवन निर्माण" हेतु दिशा–निर्देश।

संदर्भः– परिषद का पत्र पृ.क्र. 8973/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013, दि. 14.11.2013।

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल जाने के पूर्व, छोटे बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदाय किये जाने, पोषण आहार वितरित किये जाने, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियॉ आयोजित करने एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जाते है। सामान्यतः आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन स्वयं के भवन नहीं होने से किराये के भवनों में होता है, जिनमें उचित स्वच्छता एवं सुविधा का अभाव होता है। इसका प्रभाव बच्चों के पालकों विशेष रूप से माताओं पर पड़ता है एवं वह ग्रामीण विकास के कार्यों में पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता नहीं कर पाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके खेतीहर कार्य प्रभावित होते है जो उनकी स्थायी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं महिला बाल विकास विभाग के अभिसरण से पक्के आंगनवाड़ी भवन बनाये जाने हेतु संयुक्त हस्ताक्षर से अर्द्ध शासकीय पत्र क्र. 19–4/2008–CD.I दि. 29-01-2013 जारी किया गया है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 के पैरा–1 ख में खण्ड (xv) के पश्चात "(xv क) आंगनवाड़ी केन्द्रों का संनिर्माण" अंतः स्थापित किये जाने का लेख है। इसके अनुसार योजनातंर्गत किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि करते हुए आंगनवाड़ी केन्द्र को निर्मित किए जाने हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना S.O. 2754 (E) दिनांक 21.11.2012 को जारी की गई है।

2. भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु इकाई लागत राशि रू. 4.5 लाख निर्धारित की गई है। जबकि भवन के चारों ओर सुरक्षा हेतु बाउन्ड्री वाल एवं पीने के पानी की व्यवस्था हेतु हेण्ड पंप की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है। राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी भवन के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग की दर अनुसूची अनुसार तैयार किये गए प्राक्कलन अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र की प्राक्कलित लागत रू. 5.83 लाख एवं भवन की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल तथा पीने के पानी हेतु

हेंडपम्प की स्थापना के कार्य सहित इकाई लागत रू. 7.80 लाख निर्धारित की गई है। म.प्र.शासन वित्त विभाग द्वारा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की छटवी बैठक का कार्यवाही विवरण, पत्र क्र. एफ 11–2/2010/आनीविइ/वार. दिनांक 21.03.2013 से जारी किया गया है, जिसके एजेण्डा बिन्दु क्र. 4 में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की इकाई लागत रू. 5.83 लाख एवं बाउन्ड्रीवाल व हेंडपम्प की स्थापना के कार्य सहित रू. 7.80 लाख यूनिट लागत तक राशि स्वीकृत कर निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गए है। यही इकाई लागत महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से निर्मित होने वाली आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु लागू की जाती है।

3. कार्यक्षेत्र :– प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें जहां पक्के आंगनवाड़ी भवन नहीं है या किराये के भवनों में आंगनवाड़ी संचालित हो रही है।

डिजाईन व मार्गदर्शी प्राक्कलन :– आंगनवाड़ी भवन की मय बाउन्ड्रीवाल सहित डिजाईन व मार्गदर्शी प्राक्कलन संलग्न है। वास्तविक प्राक्कलन स्थानीय आवश्यकतानुसार व भूमि के स्ट्रेटा के दृष्टिगत तैयार किया जाना होगा जो निर्धारित इकाई लागत की सीमा में रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग का मनरेगा के कार्यों हेतु लागू जिला दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। आंगनवाड़ी भवन में एक हॉल, किचिन, स्टोर, वराण्डा एवं टॉयलेट होगा, जिसका कुल बिल्टअप एरिया 625 वर्ग फीट होगा। 40X50 फीट एरिया में बाउन्ड्रीवाल बनाई जावेगी जिसके अन्दर ही हेंड़पम्प लगाया जायेगा। स्थानीय परिस्थितियों में जगह की उपलब्धता कम होने पर आंगनवाड़ी भवन में प्रस्तावित सभी कक्षों व सुविधाओं को निर्धारित आकार/साईज में रखते हुये डिजाईन में परिवर्तन किया जा सकेगा।

4. अभिसरण :– आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण मनरेगा की राशि के साथ अभिसरण से किया जाना है। अभिसरण के मदों का विवरण निम्न तालिका के अनुसार रहेगा :–

आंगनवाड़ी भवन का मनरेगा व अन्य विभागों/कार्यक्रमों के अभिसरण से निर्माण वित्तीय व्यवस्था का विवरण

क्र	कार्य विवरण	इकाई लागत	अभिसरण मद			विशेष
			मनरेगा	बी.आर.जी.एफ./आई. ए.पी. वाले 30 जिले	महिला एवं बाल विकास नॉन बी. आर.जी.एफ. वाले 20 जिले	
1	2	3	4	5	6	7
1	आंगनवाड़ी भवन मय बाउन्ड्री वाल व हेंडपम्प की स्थापना।	रू. 7.80 लाख	रू. 4.50 लाख, आंगनवाड़ी भवन निर्माण एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण में मजदूरी एवं सामग्री।	रू. 3.30 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद एवं ट्यूबवेल का कार्य।	रू. 3.30 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद एवं ट्यूबवेल का कार्य।	आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य सामग्री मूलक है अतः मजदूरी सामग्री अनुपात 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया

						जाना होगा।
2	आंगनवाड़ी भवन	रू. 5.83 लाख	रू. 4.50 लाख, आंगनवाड़ी भवन निर्माण में मजदूरी एवं सामग्री।	रू. 1.33 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद।	रू. 1.33 लाख, अतिरिक्त सामग्री मद।	

5. कार्य का चयन :–

i. महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय द्वारा आंगनवाड़ी भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव जनपदवार, ग्राम पंचायतवार जिला पंचायत को निम्न प्रपत्र में प्रस्ताव भेजे जावेगें :–

क्र.	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम जहां आंगनवाडी भवन निर्मित किया जाना है।	जनपद पंचायत का नाम	आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु चिन्हित स्थल व साइज वर्ग फुट में	चिन्हित स्थल में पूर्व से बाउन्ड्री वाल एवं हेण्ड पंप की सुविधा है या नहीं	गैर बीआरजीएफ/आईएपी जिला होने पर अभिसरण की राशि दिये जाने की सहमति
योग					

जिला पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त आगंनवाडी केन्द्रो की सूची/प्रस्ताव संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भेजे जावेगें।

ii. ग्राम पंचायत द्वारा 40 x 50 वर्ग फुट शासकीय भूमि की उपलब्धता आंगनवाड़ी भवन मय बाउन्ड्रीवाल व हेंडपम्प की स्थापना हेतु सुनिश्चित की जावेगी। यदि आंगनवाड़ी भवन किसी स्कूल भवन के प्रांगण में जहां बाउन्ड्रीवाल व हेंडपम्प की व्यवस्था पूर्व से हैं वहां 25 x 25 वर्ग फुट भूमि चिन्हित की जावेगी।

iii. भूमि के चिन्हाकंन उपरान्त उपयंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बिन्दु क्र.(ii) अनुसार भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। प्राक्कलन में मनरेगा से प्रस्तावित व्यय राशि रू. 4.50 लाख भाग एक कहलावेगा एवं शेष राशि रू. 3.30 लाख अथवा रू. 1.33 लाख जैसी भी स्थिति हो, बी.आर.जी.एफ./आई.ए.पी. अथवा महिला बाल विकास मद प्राक्कलन का भाग दो कहलावेगा।

iv. आंगनवाड़ी भवन के प्रस्ताव को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करते समय मनरेगा के प्रावधान अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट एवं वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जावेगा।

6. कार्य की स्वीकृतियॉ :– उपयंत्री द्वारा कार्य के प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा। जिसमें कार्य की उपयोगिता एवं कार्य से होने वाला लाभ यथा आंगनवाडी केन्द्र में किस संवर्ग के कितने परिवारों के बच्चे आवेगें, की संख्या एवं उन परिवारों द्वारा बच्चों के आंगनवाडी केन्द्र में रहने से बचत होने वाले देखभाल के समय को अन्य आजीविका सुदृढ़ की गतिविधियों में व्यतीत करने से होने वाले संभावित लाभ के आंकलन का उल्लेख किया जावे। इस प्रकार तैयार किये गये तकनीकी प्रतिवेदन सहित कार्य का प्राकलन तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु सहायक यंत्री के माध्यम से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को भेजा जावेगा। कार्यपालन यंत्री द्वारा अभिसरण के मदों व राशि का उल्लेख करते हुए नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

महात्मा गांधी नरेगा की राशि से होने वाले अभिसरण के अन्य मदों की राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी एवं अभिसरणकर्ता विभाग/कार्यक्रम के जिला प्रमुखों सहित ग्राम पंचायत व अन्य संबंधितों को प्रतिलिपि दी जावेगी।

7. योजना एवं कियान्वयन में महात्मा गांधी NREGA की प्रकिया का अनुपालन : आंगनवाड़ी भवन के निर्माण में महात्मा गांधी NREGA की राशि का उपयोग होना है, अतः इसमें योजना की प्रकिया का अनुपालन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों के दृष्टिगत विभाग द्वारा जारी परिपत्र क. 2 दिनांक 20.02.2013 के अनुसार किया जाएगा एवं निम्न मार्गदर्शी बिन्दुओं का भी पालन किया जावे :–

- इसके निर्माण में अकुशल श्रम का कार्य, योजनान्तर्गत जॉबकार्डधारी परिवारों से कराया जाएगा तथा ठेका पद्धति प्रतिबंधित रहेगी।
- मानव श्रम के बदले मशीनों (खुदाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली JCB) का प्रयोग प्रतिबंधित है।
- अकुशल एवं कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों हेतु जारी किये गए ई–मस्टर मस्टर रोल संधारित किये जावेंगे तथा कार्य के दौरान उपस्थिति हेतु स्थल पर ही रखे जावेंगे।
- सामग्री का कय पंचायत में लागू म.प्र. भण्डार कय नियमानुसार पारदर्शी प्रकिया अपनाकर किया जावेगा।
- ई.एफ.एम.एस. के माध्यम से मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया जावेगा।
- रोजगार सृजन का पूर्ण रिकार्ड रखा जावेगा।
- आंगनवाड़ी निर्माण कार्य सामग्री मूलक होने से इस कार्य में मजदूरी सामग्री अनुपात सामान्यतः 15:85 अतः मनरेगा मद से रू. 4.50 लाख व्यय किये जाने की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर निर्धारित अनुपात 60:40 संधारित किया जाना होगा।

8. लेखा संधारण

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अंकेक्षण हेतु लेखे उपलब्ध रखे जावे।
- कियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रत्येक कार्य का ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण कराया जावे।
- अभिसरण की राशि का उपयोग एवं लेखा संधारण कार्य संबंधित विभाग एवं कार्यक्रम के निर्देशों को पालन करते हुए किया जावे।

9. मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतान :

a. कार्यों का मूल्यांकन संबंधित सेक्टर के उपयंत्री द्वारा साप्ताहिक मस्टर रोल की समाप्ति के 03 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
b. जाबकार्डधारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस में ई.एफ.एम.एस. के माध्यम से उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस के खातों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद पंचायत स्तर से एफ.टी.ओ. जारी कर किया जावेगा।

10. निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग :

a) कार्यो का संपादन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कराया जावे।
b) नींव की खुदाई के बाद, कार्य की प्लन्थ (Plinth) के उपयंत्री द्वारा माप पुस्तिका में मूल्यांकन किये जाने के बाद सहायक यंत्री द्वारा मूल्यांकन सत्यापन एवं आगे की कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन दिए जाने के पश्चात ही आगे का कार्य प्रारंभ किया जावे।
c) आर.सी.सी के कार्य संपादन के पूर्व सहायक यंत्री द्वारा लोहे की बंधाई कार्य अनिवार्य रूप से चेक किया जावे एवं सीमेन्ट कांक्रीट ढ़लाई के समय उपयंत्री के अतिरिक्त स्वयं भी स्थल पर अनिवार्यतः उपस्थित रहे।
d) सीमेन्ट कांक्रीट की Compressive strength हेतु प्रयोगशाला परीक्षण किया जावे। IS–516 के अनुसार सीमेन्ट कांक्रीट के कार्य के दिन 6 क्यूब तैयार किये जावे जिनमें से 3 का परीक्षण 7वें दिवस तथा 3 का परीक्षण 28 वें दिवस किया जावे।
e) IS-1199 के अनुसार सीमेन्ट कांक्रीट की Workability हेतु प्रत्येक 3 Cum सीमेन्ट कांक्रीट की मात्रा हेतु प्रयोगशाला में Slump test किया जावे।
f) सामग्री परीक्षण, मनरेगा अंतर्गत स्थापित जिला स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशालाओं में कराया जावे। आवश्यकता पड़ने पर म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जिले में स्थित प्रयोगशालाओं में भी सामग्री परीक्षण कराया जा सकता है।
g) कॉलम एवं नींव की सीमेन्ट कांक्रीट ढ़लाई के समय Needle Vibrator व छत की ढ़लाई के समय Plate Vibrator से काम्पेक्शन सुनिश्चित किया जावे।
h) छत की ढ़लाई के समय उपयुक्त स्लोप का ध्यान रखा जावे ताकि किसी भी स्थिति छत में पानी का जमाव न हो। कार्य की गुणवत्ता के संबंध में सहायक यंत्री द्वारा साइट आर्डर बुक में टीप अंकित की जावेगी।
i) भवन के बाह्य दरवाजे व खिड़कियों के छज्जा के स्लोप एवं ड्रिप कोर्स का ध्यान रखा जावे। ताकि वर्षा के पानी का जमाव न हो सके।
j) कार्यो का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।
k) जिला स्तर से कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण सेवा द्वारा आंगनवाड़ी भवन के 10 % कार्यों का तथा नियुक्त राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय क्वालिटी मानीटर द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा।
l) विभाग के आदेश क्र. 3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दि. 22.06.2006 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्य का एक्जिट प्रोटोकाल कराया जावे।

जिन जिलों में आंगनवाड़ी भवन की स्वीकृतियॉ कण्डिका 4 में दर्शित मार्गदर्शी डिजाईन एवं अनुमोदित इकाई लागत के अनुरूप जारी नहीं की गई वह पुनरीक्षित तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियॉ जारी करेंगें जिससे सभी जिलों में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण एकरूपता से हो सके। पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृतियां जारी करते समय कण्डिका 6 में दर्शाये अनुसार तकनीकी प्रतिवेदन तैयार कर नस्ती में संधारित किये जाने का ध्यान रखा जावे।

उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराया जावे।

12/12/13

(डॉ.अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./ 9542 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक 12/12/2013

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन भोपाल।
4. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रा.या.सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
9. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मध्यप्रदेश ।
10. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

---

11. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
12. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
13. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

12/12/13

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग